मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 10 जनवरी 2024

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1-3
II. पर्यवेक्षण	3
III. वित्तीय बाजार	3-4
IV. विदेशी मुद्रा	4
V. ऋण प्रबंधन	4
VI. भुगतान और निपटान	4
VII. प्रकाशन	4
VIII. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2024 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2024 को खाताधारकों की सहायता करने के उपाय के रूप में और निष्क्रिय खातों पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित और तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से, खातों और जमाराशियों को निष्क्रिय खातों एवं अदावी जमाराशि के रूप में वर्गीकृत करने के विभिन्न पहलुओं, जैसा भी मामला हो, ऐसे खातों और जमाराशियों की समय-समय पर समीक्षा करने, ऐसे खातों/ जमाराशियों में धोखाधड़ी को रोकने के उपाय, शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र, खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए निष्क्रिय खातों/अदावी जमाराशियों के ग्राहकों का उनके नामांकित व्यक्तियों/विधिक उत्तराधिकारियों सहित पता लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों, दावों का निपटान या समापन और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को शामिल करते हुए बैंकों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। इन अनुदेशों से बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमाराशि को उनके सही उत्तराधिकारी/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए धारणीय प्रयासों और पहलों के पूरक होने की आशा है।

संशोधित निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) और सभी सहकारी बैंकों पर 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमाराशि पर अनुदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2024 को टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमाराशि सीमा को एक करोड़ रुपये और उससे अधिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए "थोक जमाराशि" का अभिप्राय अब यह होगा:

i) संशोधित विनियामक ढांचे के अंतर्गत टियर 3 और 4 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत अनुसूचित यूसीबी के लिए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया मीयादी जमाराशियां।

ii) अन्य सभी यूसीबी, अर्थात टियर 3 और 4 में अनुसूचित यूसीबी के अलावा, के लिए पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया मीयादी जमाराशियां। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

सीआईसी के एमडी और सीईओ के साथ डीजी की बैठक

श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 जनवरी 2024 को सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

उप गवर्नर ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में वित्तीय प्रणाली में सीआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने बताया कि, हाल ही में, साख सूचना से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों में वृद्धि हुई है और रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान कुछ समस्याएँ सामने आई हैं। उप गवर्नर ने सीआईसी को ध्यान केंद्रित करने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात्

i) डेटा गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता,
ii) ग्राहकों की शिकायतों का अविलंब निवारण;
iii) आंतरिक लोकपाल ढांचे को मजबूत करना;
iv) डेटा सुधार अनुरोधों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना,
v) मजबूत सूचना सुरक्षा सुशासन ढांचे के माध्यम से साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को मजबूत करना तथा
vi) परामर्श, विश्लेषण आदि के लिए डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा पर परिपत्र का मसौदा

रिज़र्व बैंक ने 2 जनवरी 2024 को बैंकों के लाभांश घोषणा मानदंड और भारत में विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ विप्रेषण पर एक परिपत्र का मसौदा जारी किया। बैंक ने कहा कि बेसल III मानकों के कार्यान्वयन, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में संशोधन और विभेदित बैंकों की शुरूआत के आलोक में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई।

मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पिछले प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष, जिसमें वह वित्तीय वर्ष भी शामिल है जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है, के लिए 'लागू' विनियामक पूंजी आवश्यकता (पूंजी की तुलना में जोखिम-भारित आस्ति/ सीआरएआर अनुपात) को पूरा करना होगा। मसौदे में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित है, उसके लिए निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात 6 प्रतिशत से कम होना चाहिए। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

उप गवर्नर की पुनः नियुक्ति

केंद्र सरकार ने डॉ. माइकल देवव्रत पात्र को 15 जनवरी 2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

डॉ. पात्र को पहली बार जनवरी 2020 में तीन वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 2023 में सरकार ने उनका कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा दिया। डॉ. पात्र उप गवर्नर के रूप में एमपीसी के पदेन सदस्य बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि वह एमपीसी के एकमात्र सदस्य हैं जो 2016 में इसकी स्थापना के बाद से दर-निर्धारण पैनल में हैं।

केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2024 को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) की पहचान के लिए स्पष्ट मापदंडों को फिर से परिभाषित करना और प्रदान करना है।

वर्तमान निदेशों में, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) की परिभाषा केवाईसी पर मास्टर निदेश की धारा 3 के खंड (ए) के उप-खंड (xvii) में प्रदान की गई है। तथापि, बेहतर स्पष्टता प्रदान करने के लिए, बैंक ने पीईपी की परिभाषा को मास्टर निदेश की धारा 41 के स्पष्टीकरण के रूप में शामिल किया है:

'इस धारा के प्रयोजन के लिए, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) ऐसे व्यक्ति हैं जो अथवा जिन्हें किसी **दूसरे देश द्वारा** प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।' विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

एसएफबी की 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग

रिज़र्व बैंक ने 8 जनवरी 2024 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवेदक का नाम जारी किया। बैंक ने कहा कि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान केवल फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने एसएफबी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

एससीबी का सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 11 जनवरी 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के मुख्य अनुपालन अधिकारियों, मुख्य जोखिम अधिकारियों और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुखों के लिए मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली-प्रभावी आश्वासन कार्यों की भूमिका' था। सम्मेलन के दौरान उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

पंजीकरण का प्रमाणपत्र

रिज़र्व बैंक ने 11 जनवरी 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द कर दिया, जिन्होंने अपना सीओआर का अभ्यर्पण कर दिया था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

ऋण जोखिम अंतरण

रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2024 को एनबीएफसी के बीच सकेन्द्रन मानदंडों की गणना में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, वर्तमान सकेन्द्रन मानदंडों की निम्नानुसार समीक्षा की:

ए. एनबीएफसी- मिडिल लेयर (एमएल) के लिए विनियम

एक्सपोज़र की गणना - ऋण जोखिम अंतरण लिखत

किसी प्रतिपक्षकार का कुल एक्सपोज़र जिसमें ऑन और ऑफ-तुलन- पत्र एक्सपोज़र दोनों शामिल हैं, की गणना एनबीएफसी पर मास्टर निदेश और एचएफसी पर मास्टर निदेश में पूंजी गणना के लिए निर्धारित पद्धति के आधार पर की जाती है; अर्थात, ऑन-तुलन- पत्र एक्सपोज़र को बकाया राशि में गिना जाता है, जबकि ऑफ- तुलन- पत्र एक्सपोज़र को पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत निर्धारित ऋण रूपांतरण कारक को लागू करते हुए ऋण जोखिम के समकक्ष में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा, एनबीएफसी पर मास्टर निदेश के अनुबंध XIV के अनुसार, ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) को वर्तमान में अंतर्निहित प्रतिपक्षकार के एक्सपोजर को ऑफसेट करने के लिए ऋण जोखिम अंतरण लिखत के रूप में अनुमति दी गई है। अब से, एनबीएफसी-एमएल के एक्सपोजर का ऑफसेट नीचे सूचीबद्ध ऋण जोखिम अंतरण लिखतों से भी की जाएगी:

i) अग्रिमों पर उधारकर्ता की ओर से संपार्श्विक के रूप में रखा गया नकद मार्जिन/जमानती राशि/प्रतिभूति जमाराशि, जिसके लिए सेट-ऑफ करने का अधिकार उपलब्ध है;

ii) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे जिन पर पूंजी गणना के लिए शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगता है;

iii)\ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे जिन पर पूंजी गणना के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भार लगता है;

iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के अंतर्गत अलग-अलग योजनाओं की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई गारंटियाँ।

बशर्ते कि ऋण जोखिम अंतरण लिखत के रूप में पात्र होने के लिए, गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्त रहित होगी।

ऋण/निवेश संकेन्द्रण मानदंडों से छूट

एचएफसी पर मास्टर निदेश के ऋण/ निवेश संकेन्द्रण मानदंडों से छूट प्राप्त एक्सपोजर के अलावा, नीचे सूचीबद्ध एक्सपोजर को भी ऋण/ निवेश संकेन्द्रण मानदंडों से छूट दी जाएगी:

i) भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक्सपोजर जो एनबीएफसी पर लागू पूंजी नियमों के अंतर्गत शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं;

ii) एक्सपोज़र जहां मूलधन और ब्याज की पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

बी. एनबीएफसी-आधार स्तर (बीएल) के लिए विनियम

एकल उधारकर्ता/पार्टी और उधारकर्ताओं के एकल समूह/पार्टियों दोनों के लिए ऋण /निवेश संकेन्द्रण सीमा हेतु एनबीएफसी-बीएल आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा। एक्सपोज़र की गणना एनबीएफसी-एमएल के समान होगी।

सी. एनबीएफसी- उच्च स्तर (यूएल) के लिए विनियम

एनबीएफसी पर मास्टर निदेश के पैराग्राफ 110.4.2 का संदर्भ ग्रहण करें जो ऋण जोखिम अंतरण लिखतों को सूचीबद्ध करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋण जोखिम अंतरण साधन के रूप में पात्र होने के लिए, गारंटी प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्त रहित होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2024 को राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। यह कदम बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 की संख्या 39) के कारण उठाया गया है, जो 1 अप्रैल 2021 को प्रभावी हुआ, जिससे ग्रामीण सहकारी बैंकों पर प्रभाव पड़ा।

अधिनियम में उल्लिखित संशोधनों के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1ए) के अंतर्गत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या हटाने की प्रक्रिया और अन्य संबंधित मामलों को संबोधित करते हुए दिशानिर्देश तैयार किए।

1 अप्रैल 2024 से प्रभावी, इन दिशानिर्देशों में एसटीसीबी और सीसीबी को 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद शुरू होने वाली सभी अवधियों के लिए संबंधित लेखा वर्ष के 31 जुलाई से पहले रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

एसए को एक समय में केवल एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और इन दिशानिर्देशों में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन उन्हें अगले दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष पुनः नियुक्त किया जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान, एसए को समय से पहले हटाने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

यूसीबी के द्वितीय अनुसूची में समावेशन के लिए मानदंड

रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में यूसीबी को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया ताकि उन्हें संशोधित विनियामक ढांचे के अनुरूप बनाया जा सके।

भारत सरकार ने दिनांक 4 सितंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया कि, लाइसेंस प्राप्त टियर 3 और टियर 4 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित होने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे टियर 3 शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्गीकरण के लिए लगातार दो वर्षों तक न्यूनतम जमाराशि बनाए रखने के अधीन, पात्र वित्तीय संस्थान होंगे। दूसरी अनुसूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए, यूसीबी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

i) पूंजी पर्याप्तता: यूसीबी पर लागू न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता से कम से कम 3 प्रतिशत अधिक जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी बनाए रखें।

ii) विनियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन: कोई बड़ी विनियामक और पर्यवेक्षी चिंता नहीं हो। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

दक्षिणी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2024 को हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र के चुनिंदा यूसीबी के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था 'यूसीबी में सुशासन: साइबर खतरों का मुकाबला करना और आघात-सहनीयता बढ़ाना'। श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर ने अपने मुख्य भाषण में वित्तीय समावेशन को गहन बनाने में यूसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका और यूसीबी क्षेत्र के आघात-सहनीयता को बनाए रखने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व पर जोर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को विनियमित संस्थाओं को मौजूदा आंतरिक अनुपालन ट्रैकिंग और निगरानी प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करने और 30 जून 2024 तक मौजूदा प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तन करने या नई प्रणालियों को लागू करने हेतु सूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

II. पर्यवेक्षण

एक भुगतान बैंक के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निदेश जारी किया। व्यापक प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उसके पश्चात बाहरी लेखापरीक्षकों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार अननुपालन और निरंतर ठोस पर्यवेक्षी चिंताओं को प्रकट किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई। तदनुसार बैंक ने पीपीबीएल को निम्नानुसार निदेश जारी किए:

i) 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड लिखत, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में, किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड, जो कभी भी जमा किया जा सकता है, को छोड़कर, किसी अन्य जमाराशि या ऋण लेनदेन या टॉप- अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड लिखत, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनकी उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेगी।

iii) उपर्युक्त (ii) में संदर्भित सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवा, यथा निधि अंतरण (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाओं के नाम और प्रकृति से निरपेक्ष), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा 29 फरवरी 2024 के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।

iv) वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों का यथाशीघ्र, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले, समापन किया जाए।

v) सभी प्रक्रियाधीन लेनदेन और नोडल खातों (29 फरवरी 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाए और उसके बाद किसी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

III. वित्तीय बाज़ार

सीपी और एनसीडी पर मास्टर निदेश

रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2024 को एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर निदेशों की समीक्षा की। बैंक ने कहा कि सीपी और एनसीडी जारीकर्ताओं को विभिन्न चैनलों के माध्यम से भुगतान में किसी भी चूक पर जानकारी को प्रकट करना होगा, जिसमें उनकी वेबसाइट के माध्यम से ऐसी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना भी शामिल है। इसके अलावा, बैंक ने सीपी या एनसीडी के किसी भी प्राथमिक निर्गम में हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) सहित सभी व्यक्तियों द्वारा कुल सदस्यता पर जारी कुल राशि का 25 प्रतिशत तक सीमा लगा दी। बैंक ने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITS) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITS) को शामिल करने के लिए सीपी और एनसीडी जारीकर्ताओं की श्रेणी का भी विस्तार किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग

रिज़र्व बैंक ने 5 जनवरी 2024 को मुद्रा वायदा और विनिमय में व्यापार मुद्रा विकल्प पर मानदंड समेकित किए। निदेशों के अनुसार, ओटीसी विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए, प्राधिकृत व्यापारी, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदा को प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को खुदरा या गैर-खुदरा के रूप में वर्गीकृत करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

स्थायी चलनिधि सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2024 को निर्णय लिया है कि 31 जनवरी 2024 से वर्तमान रेपो दर पर स्थायी चलनिधि सुविधा के अंतर्गत एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त सकल राशि उपलब्ध कराई जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

स्वर्ण के आयात पर दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को निर्णय लिया कि 25 मई 2022 के ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र संख्या 04 में उल्लिखित निदेशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) के अंतर्गत वैध टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) धारकों को इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से स्वर्ण के आयात के लिए टीआरक्यू के अंतर्गत ग्यारह दिनों के अग्रिम भुगतान प्रेषण की अनुमति दी जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

V. ऋण प्रबंधन

राज्य सरकार गारंटी पर कार्य समूह

रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2024 को राज्य सरकार गारंटी पर कार्य समूह की रिपोर्ट प्रकाशित की। कार्य समूह के संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के लिए एक समान गारंटी सीमा निर्धारित करना; राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के लिए एक समान रिपोर्टिंग ढांचा; गारंटी उन्मोचन निधि आदि में राज्यों के योगदान की पर्याप्तता का आकलन करना शामिल है। कार्य समूह की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i) 'गारंटी' शब्द में वे सभी लिखत शामिल होने चाहिए, जो राज्य सरकार की ओर से आकस्मिक या अन्यथा दायित्व निर्मित करते हैं।

ii) जिस उद्देश्य के लिए सरकारी गारंटी जारी की जाती है उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

iii) राज्य सरकारें, एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटियों के लिए राजस्व प्राप्तियों का 5 प्रतिशत या सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकती हैं।

iv) राज्य सरकारें, विस्तारित गारंटी के लिए न्यूनतम गारंटी शुल्क लेने पर विचार कर सकती हैं और जोखिम श्रेणी तथा अंतर्निहित ऋण की अवधि के आधार पर अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम लिया जा सकता है।

v) राज्य सरकारें, भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) के अनुसार गारंटी से संबंधित डेटा प्रकाशित/प्रकट कर सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI. भुगतान और निपटान

आरबीआई- डिजिटल भुगतान सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को सितंबर 2023 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) जारी किया। यह सूचकांक 418.77 रहा, जबकि मार्च 2023 के लिए यह 395.57 था, जिसकी घोषणा 27 जुलाई 2023 को की गई थी।

इस अवधि के दौरान डीपीआई सूचकांक, विशेष रूप से देश भर में भुगतान सक्षमकर्ताओं, भुगतान निष्पादन और उपभोक्ता केंद्रितता में वृद्धि के कारण, सभी मापदंडों में बढ़ा है। अपने आरंभ से सूचकांक शृंखला निम्नानुसार है:

अवधि	आरबीआई-डीपीआई सूचकांक
मार्च 2018 (आधार)	100
मार्च 2019	153.47
सितंबर 2019	173.49
मार्च 2020	207.84
सितंबर 2020	217.74
मार्च 2021	270.59
सितंबर 2021	304.06
मार्च 2022	349.30
सितंबर 2022	377.46
मार्च 2023	395.57
सितंबर 2023	418.77

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VII. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 18 जनवरी 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का जनवरी 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में सात भाषण, छह आलेख, वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। छह आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;

ii) क्या खाद्य कीमतें भारत की मुद्रास्फीति का 'वास्तविक' मूल कारण हैं?;

iii) खुदरा क्षेत्र में ऋण वृद्धि की गतिकी: जोखिम और स्थिरता संबंधी चिंताएं;

iv) स्टॉक-बॉण्ड सहसंबंध और समष्टि अर्थव्यवस्था: भारत से साक्ष्य;

v) कृषि आपूर्ति शृंखला गतिकी: अखिल भारतीय सर्वेक्षण से साक्ष्य; और

vi) जलवायु दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण: अनिश्चितताओं में संचालन।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

पंचायती राज संस्थाओं का वित्त

रिज़र्व बैंक ने 24 जनवरी 2024 को 'पंचायती राज संस्थानों का वित्त' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के आंकड़ों पर आधारित, यह उनके वित्त और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन प्रस्तुत करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

जनवरी 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	आंकड़े
1	नवंबर 2023 माह का भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
2	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण
3	केंद्र सरकार के खाते एक नज़र में
4	दिनांक 12 जनवरी 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।